कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून

ई.मेल missionhortiuk@gmail.com

फाने न0 0135–2759799

पत्रांक 964/हा0बी0पं0/2021–22

दिनांकःदेहरादूनःजुलाई 29.........2021

अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) हेतु सूचना

महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड की ओर से निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों हेतु वर्ष 2021–22 के लिये संकर (Hybrid) सब्जी बीजों टमाटर, फूलगोभी, पत्तागोभी, शिमलामिर्च, मशालामिर्च, ब्रोकली एवं गेंदा पुष्प आदि की दरों एंव विशिष्टियों का पंजीकरण (Empanelment) किया जाना है, जिस हेतु मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों से अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) आमन्त्रित की जाती हैं।

अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) का आवेदन मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक 16.08.2021 को अपराह्न 05.00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किया जायेगा, जिनके तकनीकी बिड दिनांक 17.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे खोला जायेगा। अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) की शर्तें बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है अथवा किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से प्राप्त की जा सकती है।

(संजय श्रीवास्तव)

निदेशक, बागवानी मिशन,

कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून
ई.मेल missionhortiuk@gmail.com
दूरभाष संख्या 0135–2759799

संकर (Hybrid) सब्जी बीजो की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों या उनके द्वारा आवेदन हेतु अधिकृत वितरक के लिये पंजीकरण (Empanelment) हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) की शर्ते

केन्द्र पोषित एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना की उपयोजना पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बागवानी मिशन (HMNEH) हेतु वर्ष 2020–21 में उन्नतशील संकर (Hybrid) सब्जी पुष्प एवं मशाला मिर्च की अनुमानित मात्रा टमाटर 140.00 कि0ग्रा0, फूलगोभी 110.00 कि0ग्रा0, बन्दगोभी 130.00 कि0ग्रा0, शिमलामिर्च 130.00 कि0ग्रा0, मसालामिर्च 80.00 कि0ग्रा0, यूरोपियन सब्जी (ब्रोकली आदि) 30.00 कि0ग्रा0 एवं गेंदा पुष्प 76.00 कि0ग्रा0 की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों की दरो एवं विशिष्टियो के पंजीकरण के लिए निम्नानुसार शर्ते निर्धारित की जाती है, जो कि कास्तकारों की मांग व बजट की उपलब्धता के आधार पर घट/बढ़ सकती है:–

1. पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना होगा। **आवेदन के प्रारूप प्रपत्र–1 तकनीकी बिड** के साथ आवेदन शुल्क के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट रू0 2,360.00 (18 % GST सहित) जो निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून के नाम देहरादून में देय हो, संलग्न करना होगा।
2. **वित्तीय बिड प्रपत्र–2** अलग लिफाफे में मुहर बन्द हो, जिसे आवेदन के साथ जमा करना होगा।
3. पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप व निर्धारित शर्तें फर्मो/कम्पनियों के द्वारा बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
4. आवेदन पत्र मात्र मूल उत्पादक फर्मो (original producer) एवं उनके द्वारा आवेदन हेतु अधिकृत वितरक से ही स्वीकार किये जायेंगे।
5. आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिसके ऊपर संकर (Hybrid) सब्जी बीजों हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन अंकित हो दिनांक 16.08.2021 को सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून मे जमा करना होगा।
6. विभाग द्वारा गठित समिति के सम्मुख दिनांक 17.08.2021 को प्रातः 11:00 बजे पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफो को खोला जायेगा।
7. वित्तीय बिड में हाईब्रीड बीजों की दी गई दरों के मोल–भाव (Negotiation) हेतु दिनांक 18.08.2021 को अपराह्न 02:00 बजे फर्म/कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ विभागीय गठित कमेटी द्वारा वार्ता कर दरों का निर्धारण किया जायेगा तथा दरों की सहमति हेतु फर्म/कम्पनियों से लिखित में सहमति प्राप्त की जायेगी।
8. संकर (Hybrid) बीज का पंजीकरण दिनांक 31.03.2023 तक वैध होगा। परन्तु फर्म/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये, अनिवार्य अभिलेखो की वैधता तिथि समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित नवीनीकृत अभिलेख समय पर विभाग को प्रस्तुत किये जाने होगे। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा या निरस्त समझा जायेगा।
9. पंजीकरण की जाने वाली मूल फर्म/कम्पनी को संकर (Hybrid) बीज की आपूर्ति हेतु भारत सरकार के शीड एक्ट में निर्धारित शर्तों एंव नियमों का पालन करना होगा।
10. मूलफर्म/कम्पनी को अपना लोगो (Logo), बैच नम्बर, ब्राण्ड का नाम, प्रजाति का नाम, उत्पादन एवं पैकिगं की तिथि, वैधता तिथि, बीजों की संख्या एवं जमाव प्रतिशत इत्यादि का विवरण आपूर्ति के समय पैकिगं पर अंकित करना अनिवार्य है।

11. किसी भी फर्म/कम्पनी द्वारा एक या अधिक प्रकार के संकर (Hybrid) बीज उत्पादों की न्यूनतम 3 वर्षो की आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

12. वर्ष 2019–20 का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 5 करोड़ होने का सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।

13. फर्म/कम्पनी का कार्यालय या अधिकृत विक्रेता का कार्यालय/भण्डार अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड मे होना चाहिए।

14. पंजीकरण हेतु वित्तीय विड में अंकित प्रत्येक प्रजाति के 10 ग्राम के बीजों का शील्ड पैकेट नमूने के तौर पर कार्यालय– निदेशक, बागवानी मिशन, देहरादून में जमा करना होगा।

15. संकर (Hybrid) बीजो की भौतिक शुद्धता (physical purety) के प्रमाण पत्र देना होगा (98% physical purety से कम न हो)।

16. आनुवांशिक शुद्धता (Genitic purety) का प्रमाण प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा (98% Genitic purety से कम न हो)।

17. संकर (Hybrid) सब्जी बीजों मे नमी का प्रतिशत 10–11% होने का प्रमाण संलग्न करना होगा। (पैकिंग पैकेट पर अंकित करना होगा)

18. संकर (Hybrid) सब्जी बीजों का आकार, संख्या मानक के अनुरूप जमाव प्रतिशत 70% प्रतिशत से कम न होने का प्रमाण पत्र में संलग्न करना होगा। संकर (Hybrid) सब्जी पैकिंग पैकेट पर उद्यान विभाग एवं बीज के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक विवरण अंकित करना होगा।

19. संकर (Hybrid) बीजों से उत्पादित सब्जी फसलों का उत्पादन समान्य बीजों से 30% अधिक होना चाहिए।

20. संकर (Hybrid) बीजों से उत्पादित फलों की साइनिगं, फल की कीपिगं क्वालिटी एवं परिपक्वता का समय भी अंकित हो एवं आकार, वजन से सम्बन्धित विवरण के कैटलॉग (catalogue)/साहित्य जनपद मुख्यालय के कार्यालय अध्यक्षों को उपलब्ध कराना होगा।

21. फर्म/कम्पनी के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक, अपराधिक कार्यवाही अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया हो जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र रू0 100 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप मे जमा करना होगा (विवादित न होने का शपथ पत्र)।

22. फर्म/कम्पनी को रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु संकर (Hybrid) बीज की दी जा रही दरें न्यूनतम है। दी गई दरों से कम दर पर फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को संकर (Hybrid) की आपूर्ति नहीं की जा रही है और न ही कम दरों पर पंजीकरण की वैधता तिथि तक आपूर्ति की जायेगी। यदि अधिक दरों पर विभाग को आपूर्ति किये जाने की शिकायत साक्ष्य सहित प्राप्त होने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/कम्पनी की होगी।

23. संकर (Hybrid) बीजों की पैकिगं पर समाप्ति (expiry) तिथि अंकित किया जाना होगा। बीज सप्लाई पर 9 माह से कम का सप्लाई मान्य नही होगा (टेस्ट रिर्पोट के उपरान्त)।

24. विभागीय कमेटी की संस्तुति के उपरान्त विभाग द्वारा जारी पंजीकरण हेतु EoI के समय में बिना कारण बताए परिवर्तन/संशोधन (आंशिक या पूर्ण) अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड का होगा। किसी विवाद की स्थिति मे निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा तथा वाद का क्षेत्र देहरादून न्यायालय होगा।

25. पंजीकरण की व्यवस्था को बिना कारण बताये किसी भी समय नवीनीकरण अथवा निरस्त करने की कार्यवाही का अधिकार निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड़ को होगा।

26. पंजीकरण हेतु बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद रू0 5.00 लाख, वैधता तिथि 31.03.2023 जो निदेशक, बागवानी मिशन के नाम बन्धक हो व प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट

रू0 2360.00 जो निदेशक, बागवानी मिशन के नाम देहरादून में देय हो आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

27. फर्म/कम्पनी को उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकृत विक्रेता का GSTIN No. का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

28. संकर (Hybrid) बीज पर देय राजसहायता की मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कृषक अपनी इच्छानुसार विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से संकर (Hybrid) बीज क्रय करने हेतु स्वतन्त्र होगा। कृषकों की लिखित सहमति पर मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा भी संकर (Hybrid) बीज क्रय कर कास्तकारों को वितरित किया जा सकता है।

29. उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर हाईब्रीड बीजों की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में फर्म/कम्पनी के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी।

30. आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी द्वारा समस्त अभिलेख स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने होगें तथा पंजीकरण हेतु निधारित शर्तो पर सहमति हेतु फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।

31. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटीज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

32. पंजीकरण उपरान्त कम्पनी को बीज बुवाई/रोपण का तकनीकी प्रशिक्षण व उपयोगी साहित्य चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को नि;शुल्क उपलब्ध कराना होगा।

33. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म/कम्पनियो द्वारा विक्रय किए गए उन्नत संकर (Hybrid) सब्जी बीज रोपण सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी तथा बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद की धनराशि भी जब्त की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म को होगी।

34. यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई फर्म/कम्पनी अनुचित कार्यों में लिप्त है तो उस फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

35. आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी को अपनी प्रोफाईल उपलब्ध करानी होगी।

36. देश से बाहर की कम्पनी होने पर भारत सरकार द्वारा देश में संकर (Hybrid) बीज आपूर्ति किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

37. फर्म द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान संकर (Hybrid) सब्जी बीज रोपण सामग्री से लाभान्वित किये गये किसानों में से में कम से कम 05 किसानों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर आदि सहित सूची संलग्न करनी होगी।

(संजय श्रीवास्तव)
निदेशक, बागवानी मिशन,
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस,
देहरादून

कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून

ई.मेल:- missionhortiuk@gmail.com

संकर (Hybrid) सब्जी बीजो की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों/अधिकृत फर्मो के पंजीकरण (Empanelment) हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) हेतु आवश्यक अभिलेख

प्रपत्र–1 तकनीकी बिड

क्र	विवरण	आवश्यक अभिलेख का पृष्ठ संख्या
1	उत्पादक फर्म/कम्पनी का नाम व पता– (फर्म/कम्पनी के पैड पर स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है)	
2	उत्पादक फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत विक्रेता का नाम व पता – (फर्म/कम्पनी के पैड पर स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है)	
3	फर्म/कम्पनी को अपनी विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करनी होगी।	
4	अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) हेतु प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण – ड्राफ्ट संख्या............... दिनाकं.................. धनराशि रू0................. बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले राष्ट्रीयकृत बैक का नाम–	
5	बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, बागवानी मिशन के नाम बन्धक हो, का विवरण– बैंक गारन्टी संख्या.............. बैंक का नाम...वैधता तिथि..................................धनराशि रू0.................	
6	फर्म का पैन कार्ड नम्बर–... (कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)	
7	फर्म का जी.एस.टी. नम्बर–... (छायाप्रति संलग्न करें)	
8	फर्म एवं कम्पनी के उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकृत विक्रेता GSTIN No- ....का (GSTIN का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)।	
9	वर्ष 2020–21 का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 5 करोड़ होने का सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र	
10	जिन बीजों का पंजीकरण किये जाने हेतु आवेदन किया है। उनके प्रजातिवार 10 ग्राम की पैकिगं का एक–एक नमूना मुहरबन्द लिफाफे में उपलब्ध कराना होगा। नमूने में बीजों का विवरण जैसे जमाव प्रतिशत, प्रजाति का नाम, वैधता तिथि आदि का विवरण अंकित होना आवश्यक है।	
11	98% Physical purety का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
12	98% Genetic purety का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
13	Seed Moisture Percentage 10 -11 % का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
14	Seed Germination not less then 70% का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
15	उत्पादकता प्रजातिवार सामान्य प्रजाति की उत्पादकता से कम से कम 30% अधिक होने का प्रमाण पत्र	
16	फसल उत्पादन के समय फल/फलियों– साइनिगं, आकार, फल कीपिगं क्वालिटी एवं परिपक्वता गुणों का प्रमाण पत्र।	
17	फर्म के विरूद्व किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक कार्यवाही अपराधिक कार्यवाही अथवा फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया जैसी भी स्थिति हो, के सम्बन्ध में सूचित करते हुए शपथ पत्र रू0 100 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप में जमा करना होगा।	
18	फर्म/कम्पनी को रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु संकर (Hybrid) बीजों की दी जा रही दरें न्यूनतम हैं, दी दरों से कम पर फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को आपूर्ति नहीं की जा रही है और न ही कम दरों पर पंजीकरण की वैधता तिथि तक आपूर्ति की जायेगी यदि अधिक दरों पर आपूर्ति किये जाने की शिकायत/ साक्ष्य सहित प्राप्त होने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/कम्पनी की होगी।	
19	उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर हाईब्रीड बीजों की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में फर्म/कम्पनी के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी।	
20	विदेशी कम्पनी होने पर भारत मे मुख्यालय का पता (प्रमाण संलग्न)	
21	लीगल क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के अन्तगर्त देहरादून होगा (जिसके सम्बन्ध में फर्म/कम्पनी के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी)	
22	सम्बन्धित संकर (Hybrid) सब्जी बीज के अधिकृत अभिजनक (ब्रीडर/अनुसंधान संस्थान के अभिजनक का विवरण)	
23	किसी भी फर्म/कम्पनी द्वारा एक या अधिक प्रकार के संकर (Hybrid) बीज उत्पादों की न्यूनतम 3 वर्षो की आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
24	भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून को तत्काल उपलब्ध करायेगें (इस आशय का प्रमाण पत्र)	
25	पंजीकरण उपरान्त कम्पनी को उन्न्त पौध रोपण सामग्री के बुवाई/रोपण की तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को नि;शुल्क प्रदान करना होगा (इस आशय का प्रमाण पत्र)	
26	पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म/कम्पनियो द्वारा विक्रय किए गए उन्नत संकर (Hybrid) सब्जी बीज रोपण सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी (सहमति सम्बन्धी प्रमाण पत्र)	
27	कम्पनी को अपनी प्रोफाईल उपलब्ध करानी होगी।	
28	देश से बाहर की कम्पनी होने पर भारत सरकार द्वारा देश में संकर (Hybrid) बीज आपूर्ति किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
29	फर्म द्वारा पिछले दो वर्षो के दौरान संकर (Hybrid) सब्जी बीज रोपण सामग्री से लाभान्वित किये किसानों में से में कम से कम 05 किसानों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर आदि सहित सूची संलग्न करनी होगी।	

नोट – उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होगे तथा प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा कि उपरोक्त सभी कॉलम मे दी गयी सूचनाए सत्य एंव प्रमाणित है अभिव्यक्ति की अभिरूची (EoI) के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जाये। आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी द्वारा समस्त अभिलेख स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करने होगें तथा पंजीकरण हेतु निधारित शर्तो पर सहमति हेतु फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।

शपथ पत्र– मेरे द्वारा उपरोक्त अभिव्यक्ति की अभिरूची (EoI) की समस्त शर्तो एंव प्रतिबन्धो का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

फर्म का नाम व पता

फोन न0 फैक्स/ई.मेल

कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून

ई.मेल missionhortiuk@gmail.com

दूरभाष संख्या 0135–2759796

संकर (Hybrid) सब्जी बीजों की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों के पंजीकरण (Empanelment) हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI)

प्रपत्र–2 वित्तीय विड

क्र0 सं0	सब्जी फसल का नाम	प्रजाति	बीज की दर (10 ग्राम बीज पैकिगं)	मूल दर (रू0 में)	GSTIN (रू0 में)	मूल दर + GSTIN F.O.R. डेस्टीनेशन सहित (रू0 में)
1.	टमाटर	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
2.	फूलगोभी	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
3.	बन्दगोभी	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
4.	शिमला मिर्च	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
5.	मसाला मिर्च	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
6.	ब्रोकली	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
7.	गेंदा पुष्प	1.				
		2.				
		3.				
		4.				

हस्ताक्षर/मुहर

फर्म का नाम व पता

फोन न0

फैक्स/ई–मेल